प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल ।

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 11/12–13
राजेश्वर रविदास वनाम् लवकुश रविदास एवं अन्य
आदेश

आवेदक राजेश्वर रविदास पिता स्व0 रामध्यान रविदास साकिन अंधराचक थाना करपी जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर आवेदन पत्र में वर्णित भूमि (विवादित भूमि) की पैमाइश कराने एवं नापी उपरान्त उक्त भूमि पर विपक्षीगण के द्वारा की जा रही जबरन बेदखली के प्रयास से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा केयाल टोला अंधराचक थाना नं0 184 अंचल करपी जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	चौहद्दी
544	7151	36 डी0	उ0– नन्देश्वर रविदास द0– बंशी रविदास पू0– रामजतन मांझी एवं परमेश्वर मांझी प0– जानकी मांझी

वाद की प्रविष्टि की गई और विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन आवेदक के पिता स्व0 रामध्यान रविदास को 1988–89 में बंदोबस्ती परचा द्वारा प्राप्त है और उस वक्त से ही आवेदक की भूमि पर निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। विपक्षीगण झगडालू प्रवृति के है जो आवेदक की भूमि जबरदस्ती दखल कब्जा करना चाहते है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन खाता 544 खेसरा 7151 का रकवा लगभग 100 एकड़ है जिसे विभिन्न व्यक्तियों को वासगीत पर्चा तत्कालीन अनुमण्डलाधिकारी जहानाबाद के द्वारा मिला है। द्वितीय पक्ष के दादा स्व0 जानकी दास को भी उक्त खेसरा की 64 डी0 भूमि प्राप्त है जिसके 6 डी0 भूमि में विपक्षी मकान बनाकर सपरिवार रह रहे हैं। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने भी भूमि के नापी कराने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के अनुरोध के आलोक में प्राधिकार द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ट नारायण से नापी कराया गया। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने अपने नापी प्रतिवेदन में लिखा है कि उभय पक्षों द्वारा कब्जा से अधिक भूमि का पर्चा प्राप्त किया गया है जिसके कारण रकवा की कमी हो रही है क्योंकि उभय पक्षों द्वारा बताये गये कब्जे के बाद दूसरे अन्य रैयतों का कब्जा व मकान अवस्थित है। उक्त सर्वे प्लॉट सं0 7151 बहुत ही बड़ा प्लॉट है

जिसके अंदर सैकडों परिवार निवास करते है।

सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन एवं उभय पक्षो द्वारा दाखिल परवाना की छायाप्रति मे कोई चौहद्दी अंकित नहीं रहने के कारण प्राधिकार किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। वाद को खारिज किया जाता है। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अनुतोषों की प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करे।

लेखापित एव सशोधित

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल ।

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।